

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2022

अधिसूचना

(आय-कर)

सा. का. (अ). आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (अधिनियम) की धारा 143 के खण्ड (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं अधिसूचना सं. 25/2021/फा.सं. 187/3/2020-आईटीए-1 दिनांक 31.03.2021 के अधिक्रमण में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा सहायक आयुक्त आयकर/ उप आयुक्त आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान) वृत्त-1(1)(1), दिल्ली को अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी करने के उद्देश्य के लिए 'निर्धारित आयकर प्राधिकारी' के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

रविन्द्र मैनी 28/5/2022

(रविन्द्र मैनी)

निदेशक

(अधिसूचना सं. 56 /2022)

फा.सं. 225/91/2022/आईटीए-II